

भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झाँसी

फा.नं. 1-1/स्थापना/अवकाश/2020


दिनांक 03.05.2023

परिपत्र

अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन अनुभाग, लखनऊ की विज्ञप्ति संख्या 3-1012(002)/69/2019-1, दिनांक 20.04.2023 द्वारा प्रदेश के नगर निगमों के महापौर एवं पार्षदों तथा नगर पालिका पार्षदों तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों/सदस्यों के सामान्य निर्वाचन 2023 के विषय में राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु अधिसूचना जारी की गई है। इस निर्वाचन हेतु जनपदों में प्रथम चरण का मतदान दिनांक 04.05.2023 को झाँसी में होना है।

Further, in light of the DoPT, Govt. of India Office Memorandum F.No. 12/14/99-JCA dated 10.10.2001, it has been decided with the approval of the Competent Authority that in connection with local body elections viz. Panchayat/corporation/Municipality, the Government employees who are bonafide voters and desire to exercise their franchise should be offered reasonable facility, subject to normal exigencies of services, either by coming late to office or being allowed to leave office early or a short absence on 04.05.2023 (Polling Day).

यह परिपत्र निदेशक महोदय की स्वीकृति उपरान्त जारी किया जा रहा है।


मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (एस.जी.)
एवं कार्यालयाध्यक्ष

वितरण:

1. समस्त विभागाध्यक्ष/पी.सी.(एफ.सी),/सभी अनुभाग इंचार्ज
2. निदेशक कोष भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झाँसी
3. क्षेत्रिय शोध केंद्र-धारवाड़ अविकानगर, श्रीनगर
4. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाअधिकारी, समस्त सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रभारी प्रक्षेत्र, प्रभारी सुरक्षा अधिकारी, प्रभारी पुस्तकालय
5. श्री के.पी. राव, मुख्य तकनीकी अधिकारी को इस अनुरोध के साथ कि - IGFR website द्वारा तथा ICAR-eoffice Notice Board पर परिचालन हेतु upload करने का कष्ट करें।